



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 29 मार्च, 1975

चेत्र 8, 1897 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 1280/सत्रह-वि-1-125-74

लखनऊ, 29 मार्च, 1975

अधिसूचना

विधिव

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 301 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) विधेयक, 1974 और दिनांक 25 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1975

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, 1975]

(जंसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की अवधि को और बढ़ाने के लिये

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1962

अधिनियम

भारत गणराज्य के छव्वीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1975 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2--उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उपधारा (3) में शब्द "बारह वर्ष" के स्थान पर शब्द "चौदह वर्ष" रख दिये जायं। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, 1962 की धारा 1 का संशोधन।

3--उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अध्यादेश, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22, 1974 का

No. 1280(2)/XVII-V-1-125-74

Dated Lucknow, March 29, 1975

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Hindu Sarvajanic Dharmik Sanstha (Sampatti Apavyay Niwaran) (Asthai Adhikar (Jari Rakhne Ka) Adhinyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 11 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on March 25, 1975 :

**THE UTTAR PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS
(PREVENTION OF DISSIPATION OF PROPERTIES) (TEMPORARY
POWERS) (CONTINUANCE) ACT, 1975.**

[UTTAR PRADESH ACT NO. 11 OF 1975]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

furthur to extend the life of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) (Continuance) Act, 1975.

Amendment of section 1 of U. P. Act no. XXII of 1962.

2. In sub-section (3) of section 1 of the Uttar Pradesh Hindu Public Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) Act, 1962, for the words "Twelve years", the words "fourteen years" shall be substituted.

Repeal of U. P. ordinance no. 22 of 1974.

3. The Uttar Pradesh Hindu Religious Institutions (Prevention of Dissipation of Properties) (Temporary Powers) (Continuance) (Ordinance, 1974 is hereby repealed.

ब्रह्मा से,
कलाश नाथ गोयल,
सचिव,

U.
Act
XXII
1962